PB-27

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

भारत के राजपत्र में भाग-3, खंड-4 में प्रकाशन हेतु

आदेश

मि.सं. फ-3/4पीबी-03/ई.टी.टी./2000/9674-81 दिनांक : 22.08.2000

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) अधिनियम 1993 की धारा14(3) (ए) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर क्षेत्रीय समिति **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नाभा-147201, पटियाला (पंजाब)** को **2 वर्ष का ई.टी.टी.** प्रारंभ करने हेतु अकादमिक सत्र **2000-2001** से प्रतिवर्ष **100 (एक सौ)** विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर मान्यता प्रदान करती है :-

1. ऐसे सभी अध्यापक जो संस्था में पूर्व से नियुक्त हैं तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदंडों की पूर्ति नहीं करते हैं वे यह आदेश जारी होने के दो वर्ष के भीतर मानदंडों के अनुसार निर्धारित शैक्षिक योग्यता अर्जित करेंगे।

2. संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा अन्य शैक्षिक ढांचे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदंडों के अनुरूप हों।

3. अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा जो विनियमों में पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पात्रता रखते हों और जो संबंधित विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि से चयनित हों।

4. जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा शुल्क संबंधी नियम प्रभावी नहीं होते तब तक छात्रों से शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्क संबंधित विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप लिये जाएँगे।

5. पाठ्यक्रम संबंधी पाठ्यचर्या क्रियाकलाप, सह प्रायोगिक कार्य/गतिविधियों सहित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानकों और मानदंडों के अनुसार होना चाहिए तथा संबंधित विश्वविद्यालय/परीक्षा निकाय की आवश्यकताओं के अनुरूप भी आयोजित होने चाहिए।

6. पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण दिवसों तथा अभ्यास शिक्षण दिवस के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानकों में निर्धारित दिवसों की संख्या से कम नहीं होगी।

7. संस्था यदि गैरअनुदानित है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदंडों के अनुसार अक्षय निधि और सुरक्षित निधि बनाए रखेगी।

कार्यालय : ए-46, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर - 302 004
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur - 302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Harayana, Panjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

Phone फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620116